

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
--: मंत्रालय :-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 588/ब-4/चार,
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/08/2021

संचालक
संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन/छ.ग.राज्य संपरीक्षा/
संस्थागत वित्त
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़

विषय :- विश्व बैंक सहायित छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना अंतर्गत अतिविभागीय उच्च स्तरीय परियोजना संचालन समिति Project Steering Committee (PSC) के पुनर्गठन बाबत।


संदर्भ :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का ज्ञाप. क्र. 950/F-2021-04-04470/ब-4/चार, दिनांक 29.09.2018
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश एफ 9-24/2021/1/5, दिनांक 27 जुलाई, 2021

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश क्र. 02 अनुसार विश्व बैंक सहायित छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना अंतर्गत अतिविभागीय उच्च स्तरीय परियोजना संचालन समिति Project Steering Committee (PSC) का पुनर्गठन किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



शोध अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/08/2021

पृ.क्रमांक 589/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निज सहायक, मंत्रालय ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय।
4. सचिव, वाणिज्यिक कर/लोक निर्माण/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास /सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, कार्यालय चिप्स रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।


शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
-:: मंत्रालय ::-
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
// आदेश //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29 /09 /2018

क्र. 950 /F-2018-04-04470/ब-4/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा विश्व बैंक सहायित छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना के क्रियान्वयन एवं संबंधित विभागों के मध्य अंतर समन्वय संपादित करने की दृष्टि से अंतर्विभागीय उच्च स्तरीय परियोजना संचालन समिति **Project Steering Committee (PSC)** का गठन करता है :-

- | | |
|---|---------------|
| (i) वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव | -- अध्यक्ष |
| (ii) सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग | -- सदस्य |
| (iii) सचिव, लोक निर्माण विभाग | -- सदस्य |
| (iv) सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग | -- सदस्य |
| (v) सचिव, जल संसाधन विभाग | -- सदस्य |
| (vi) सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | -- सदस्य |
| (vii) सचिव, वन विभाग | -- सदस्य |
| (viii) सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग | -- सदस्य |
| (ix) CEO ChiPS | -- सदस्य |
| (x) संचालक, संस्थागत वित्त | -- सदस्य सचिव |

2- समिति की बैठक कम से कम 6 माह में एक बार आयोजित की जायेगी।


3- संचालक, संस्थागत वित्त परियोजना समन्वयक (**Project Coordinator**) होंगे। परियोजना समन्वयक के सहयोग हेतु बाह्य सलाहाकारों (**External Consultants**) के साथ एक पूर्णकालिक टीम होगी।

4- संचालनालय, संस्थागत वित्त में परियोजना निगरानी इकाई (**Project Monitoring Unit -PMU**) की स्थापना की जाएगी। यह इकाई कार्यक्रम के दैनंदिन क्रियान्वयन तथा उसके समन्वय हेतु उत्तरदायी होगी।

5- वित्त विभाग के अधीन एक राजकोषीय प्रकोष्ठ (**Fiscal Cell**) स्थापित होगा। इसमें वित्त विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त पूर्वकालिक बाह्य सलाहाकार (**External Consultants**) होंगे। प्रकोष्ठ का कार्य राजकोषीय सुधार से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी सहायोग प्रदान करना होगा।


6- कार्यक्रम के घटको के क्रियान्वयन तथा उसके अपेक्षित परिणाम हेतु परियोजना से संबंधित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में एक नोडल ऑफिसर नामांकित किया जावेगा।

7- परियोजना निगरानी इकाई (PMU) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक व्यय योजना (Annual Expenditure Plan), क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के परामर्श से तैयार कर अनुमोदन हेतु परियोजना संचालन समिति (PSC) के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


(डॉ कमल प्रीत सिंह)
सचिव

पृ.क्र. 951/F-2018-04-04470/ब-4/चार, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29.09.2018
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय
2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के निज सहायक, मंत्रालय
3. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
4. सचिव, वाणिज्यिक कर/लोक निर्माण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/जल संसाधन/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन/सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय,
5. संचालक, संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, कार्यालय चिप्स, रायपुर


(डॉ कमल प्रीत सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //


नवा रायपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2021

क्रमांक एफ 9-24/2021/1/5 :: राज्य शासन एतद्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक 950/2018-04-04470/ब-4/चार, दिनांक 29.09.2018 द्वारा गठित विश्व बैंक सहायित छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना अन्तर्गत अर्न्तविभागीय उच्च स्तरीय परियोजना संचालन समिति Project Steering Committee (PSC) का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

1.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
3.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
5.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
6.	भारसाधक सचिव, छ.ग.शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7.	सीईओ चिप्स	सदस्य
8.	अन्य संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार	विशेष आमंत्रण
9.	संचालक, संस्थागत वित्त	सदस्य सचिव

उक्त कार्यक्रम वित्त विभाग के अन्तर्गत प्रमुखतः संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन और संचालनालय, स्थानीय संपरीक्षा से संबंधित है । अतः संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन और संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(संजय अग्रवाल)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(६) सामान्य प्रशासन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक जुलाई, 2021

पृ०क्र० एफ 9-24/2021/1/5

प्रतिलिपि : -

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मान० मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़
2. समिति के माननीय सदस्यगण
3. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग